सुनील गुप्ता

बनाम

किरण गिरहोत्रा व अन्य

09 अक्टूबर, 2007

(एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे जे)

उत्तराधिकार अधिनियम, 1925- धारा 263, 283- प्रोबेट कार्यवाहियाँ- वसीयतकर्ता की संपत्ति के क्रेता को एक आवश्यक पक्षकार के रूप में शामिल करना- संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता कार्यवाही के लंबन के दौरान एक आवश्यक पक्षकार नहीं है- यह केवल उन लोगों के लिए दिया जाना आवश्यक है जो वसीयत के माध्यम से या इसके तहत दावा करते हैं या अस्वीकार करते हैं अथवा निष्पादन पर विवाद करते हैं। तथ्यों पर वसीयत का विषय बनाने वाली संपत्ति के खरीददार या उसके पूर्ववर्ती ने संपत्ति खरीदने से पहले प्रोबेट कार्यवाही के परिणाम का जोखिम उठाया वह एक आवश्यक पक्षकार नहीं है। इस प्रकार खरीददार प्रोबेट कार्यवाही में शामिल होने का हकदार नहीं है।

एचबी ने दिनांक 09.09.1997 को एक वसीयत निष्पादित की। उत्तरदाता एचबी की बेटियों ने प्रोबेट अनुदान के लिए आवेदन दायर किया। एचबी के बेटां ने इस पर आपत्ति दायर की। बेटे आरके ने एचबी

की एक वसीयत प्रस्तुत की जिसे कथित तौर पर दिनांक 30.10.1997 को निष्पादित किया गया। आरके ने वसीयत के तहत अनुदान की विषय वस्तु बनाने वाली संपत्तियों के संबंध में एपी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किये। दिनांक 30.10.1997 के संबंध में अन्य विधिक उत्तराधिकारियों से न तो प्रोबेट और ना ही आपत्ति प्राप्त की गयी। एपी ने संपत्तियों के संबंध में विक्रय का करार किया। अपीलकर्ता, एपी के उत्तराधिकारी ने प्रोबेट कार्यवाहियों में शामिल करने के लिये आवेदन किया। आवेदन स्वीकार किया गया तथापि उच्च न्यायालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया। अतः यह वर्तमान अपील प्रस्तुत है।

याचिका खारिज करते हुये न्यायालय ने कहा कि कार्यवाही के लंबन के दौरान किसी संपत्ति का हस्तांतरणकर्ता आवश्यक पक्षकार नहीं है। यह उद्धरण केवल उन लोगों के लिए दिया जाना आवश्यक है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, वसीयत के माध्यम से या उसके तहत दावा करते है। को उद्धरण नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यहां तक कि अन्यथा भी आम तौर पर एक अंतरिति पेडेंट लाइट के, बिना अदालत की अनुमति के एक पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अतिक्ति वादी अपने वाद का स्वामी (डोमिनस लिटिस) है। यदि वह मामले में एक सोची समझी जोखिम लेना चाहता है तो अदालत

को अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। [पैराग्राफ्स 13, 17, 20 और 21] (832-जी; 833-सी; 834-सी-डी)

2.1 स्वर्गीय एचबी के पुत्रों ने कैविएट्स दाखिल की। उनकी आपत्तियों पर प्रोबेट कार्यवाही में विचार किया जावेगा। आरके द्वारा वसीयत दिनांक 09.09.1997 के संबंध में न केवल उत्तरदाताओं के पक्ष मे प्रोबेट का विरोध किया जा रहा था बल्कि वह स्वयं दिनांक 30.10.1997 को स्वर्गीय एचबी द्वारा निष्पादित वसीयत के तहत दावा कर रहा था। आरके को स्पष्ट रूप से कार्यवाहियों के विषय में जानकारी थी। यदि प्रोबेट के अनुदान की कार्यवाही आरंभ की गयी थी तो अपीलार्थी और/या उसके पूर्ववर्ती, एपी के विषय में यह माना जाएगा कि उसके पास इनकी सूचना है। एपी व फलस्वरूप अपीलार्थी ने संपत्ति खरीदने से पूर्व प्रोबेट कार्यवाहियों के परिणाम के संबंध में एक परिकलित जोखिम लिया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकृति के लिये वह एक आवश्यक पक्षकार नहीं है। उनकी आशंका है कि आरके मुकदमें में कोई रूचि नहीं ले रहा है लेकिन अपने आप में विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए यह एक आधार नहीं हो सकता है। यह एक तरीके से अटकलबाजी है इसके अलावा अपीलकर्ता केवल सट्टेबाज हैं जिन्होंने मुकदमें वाली संपत्तियां खरीदी थी। [पैराग्राफ्स 12, 14, 16 और 17} [832- ई-एफ; 833-बी, सी, डी; 833 -ए]

2.2 उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में कहा है कि वसीयत के अनुप्रमाणिक साक्षियों का परीक्षण पहले ही किया जा चुका था। अगर अपीलार्थी को एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाता है तो यह एक तरह से घड़ी को पीछे करने के समान है। [पैराग्राफ्स 14] [832-एच]

बनवारीलाल श्रीनिवास बनाम कुमारी कुसुम बाई व अन्य, एआईआर [1973] मध्यप्रदेश 69, सेठ बेनी चंद (मृत्यु होने के बाद से) जरिये विधिक प्रतिनिधि बनाम श्रीमती कमला कुंवर व अन्य [1976] 1 एससीसी 554; बीबी जुबैदा खातून बनाम नबी हसन साहब व अन्य। [2004] 1 एससीसी 191; कस्तूरी बनाम लयमपेरुमल व अन्य। [2005)] 6 एससीसी 733, धन्नालाल बनाम कलावती बाई व अन्य। [2002] 6 एससीसी 1 और इंडियन एसोसिएट्स बनाम शिवेंद्र बहादुर सिंह और अन्य, 104 (2003) डीएलटी 820, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4729/2007

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के दीवानी विविध (मुख्य) संख्या 285 वर्ष 2006 व समीक्षा याचिका संख्या 393 वर्ष 2006 में निर्णय व अंतिम आदेश दिनांक 30.08.2006 और 13.11.2006 से

सहित

अवमानना याचिका (सी) संख्या 270/2007

अपीलार्थी की ओर से राजू रामचन्द्रन और मीनाक्षी अरोड़ा।

ओ.पी. खदरिया; मितर एंड कंपनी के लिए)

उत्तरदाताओं और इन्द्र के लिये, प्रत्यर्थी संख्या 4 व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस एस.बी. सिन्हा द्वारा दिया गया था।

1.- अनुमति प्रदान की गई।

2.- प्रश्न यह है कि क्या किसी संपत्ति के खरीदार मृतक वसीयतकर्ता को प्रोबेट कार्यवाही में एक पक्ष के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। यह प्रश्न इस अपील में उत्पन्न होता है जो दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 31.08.2006 सिविल विविध (मुख्य) संख्या 285 वर्ष 2005 व दिनांक 13.11.2006 के निर्णय व आदेश में पारित किया गया।

3.- प्रश्नगत संपत्ति निश्चित रूप से किसी हरभगवान से संबंधित थी। उसकी मृत्यु दिनांक 03.11.1997 को हुयी। वह अपने पीछे पत्नी, चार बेटियां और दो पुत्र छोड़ गये। यहां उत्तरदाता हरभगवान की पुत्रियां है। हरभगवान के पुत्र में से एक राजकुमार है। हरभगवान की पत्नी का निधन हो गया। कथित तौर पर हरभगवान के एक और बेटे को गोद दे दिया गया था।

4.- हरभगवान ने दिनांक 09.09.1997 पर एक वसीयत निष्पादित की। यहां उत्तरदाता इसके लाभार्थी है। उन्होंने वर्ष 2000 में प्रोबेट के अनुदान के लिए आवेदन दायर किया। हरभगवान के दोनों पुत्रों ने इस पर आपत्ति दर्ज करवायी। राजकुमार ने उक्त हरभगवान की एक और वसीयत पेश की थी जो कथित तौर पर दिनांक 30.10.1997 को निष्पादित की गयी थी। निर्विवाद रूप से, राजकुमार द्वारा दो विलेख दिनांक 20.06.2003 व 27.06.2003 अमित पाहवा के पक्ष में निष्पादित किए गए।

कथित तौर पर संपत्तियों को वसीयत के तहत अनुदान की विषय वस्तु बनाने वाली बिक्री के उक्त कार्य के कारण हस्तांतरित किया गया तथा कथित वसीयत दिनांक 30.10.1997 के विषय में कोई प्रोबेट प्राप्त नहीं की गयी। यहां तक कि स्वर्गीय हरभगवान के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गयी। कथित आपत्तियों के निष्पादन के तुरंत बाद उक्त अमित पाहवा ने एक संपत्ति के बेचान के संबंध में दिनांक 25.07.2003 को बेचने का समझौता किया। इससे आगे बढते हुए कहा जाता है कि अन्य संपत्ति के संबंध में बिक्री का एक कथित विलेख दिनांक 29.08.2003 को निष्पादित किया गया था।

5.- अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रोबेट कार्यवाही में अपने अभियोग के लिये एक आवेदन दायर किया। इसे दिनांक 24.12.2004 को दिनांकित

आदेश द्वारा अनुमति दी गयी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर आवेदन के तहत फैसला विवादित होने के कारण निर्णय और आदेश को उच्च न्यायालय ने उलट दिया है।

6.- श्री राजू रामचन्द्रन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अपील के समर्थन में प्रस्तुत करते हैं कि- उच्च न्यायालय ने एक गंभीर गलती की क्योंकि वह इसे स्वीकार करने में विफल रहा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत एक कार्यवाही में (संक्षप में, अधिनियम) न्यायालय को हमेशा कार्यवाही की बहुलता से बचने का प्रयास करना चाहिए। यह प्रतिवाद किया गया था कि अदालत के पास किसी ऐसे पक्ष को पक्षकार बनाने की विस्तृत शक्ति है जो संकुचित रूप में एक आवश्यक पक्ष नहीं हो सकता। इस संबंध में बनवारी लाल ने एक निर्णय पर मजबूत निर्भरता रखी गयी। श्रीनिवास बनाम कुमारी कुसुम बाई और अन्य, एआईआर (1973) मध्यप्रदेश 69, सेठ बेनी चंद (मृत्यु होने के बाद से) अब विधिक प्रतिनिधि वी. श्रीमती कमला कुंवर और अन्य , [1976] 4 एससीसी 554]

7.- श्री ओ.पी. खदरिया विद्वान अधिवक्ता उत्तरदाता संख्या 1, 3 व प्रत्यर्थी संख्या 4 जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुयी, ने दूसरी और यह पक्ष रखा कि अपीलार्थी कार्यवाही के लिए एक आवश्यक पक्ष नहीं है। अतः आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

8.- अधिनियम के भाग IX के अध्याय एक में प्रोबेट और/या प्रशासन के पत्रों के अनुदान का प्रावधान है। एक प्रोबेट केवल एक वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक को दिया जा सकता है। अधिनियम के अध्याय III में न्यायसंगत कारण के लिए निरसन या रद्द करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 263 के साथ जोड़ा गया उद्धरण निम्न प्रकार से हैः-

> "8. जिस न्यायालय द्वारा उध्दरण अनुदान दिया गया था, उसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं था।
>
> (I) अनुदान उन पक्षों का हवाला दिया गया था जिन्हें उद्धत करना चाहिए था।
>
> (II) जिस वसीयत की प्रोबेट प्राप्त की गयी थी वह जाली थी या निरस्त कर दी गयी थी।
>
> (III) ए ने बी की विधवा के रूप में संपत्ति के प्रशासन के संबंध में प्रशासन पत्र प्राप्त किये, लेकिन तब यह पता चला कि उसने कभी ए से शादी ही नहीं की थी।
>
> (IV) ए को बी की संपत्ति का प्रबंधन इस प्रकार दिया गया जैसे की वह बिना वसीयत किये मर गया हो लेकिन तब से एक वसीयत की खोज की गई है।

(V) चुंकि प्रोबेट दिया गया था, इसलिए एक वसीयत की खोज की गयी।

(VI) जब से प्रोबेट दिया गया एक कोडिसिल (उपदित्सा) की खोज की गयी जो वसीयत के अंतर्गत निष्पादकों की नियुक्ति को निरस्त करेगा या जोडेगा।

(VII) वह व्यक्ति जिसे प्रोबेट किया गया था, या प्रशासन के पत्र दिये गये थे, बाद में अस्वस्थ दिमाग का हो गया।"

9. उद्धरण(II) अनुदान को निरस्त करने का प्रावधान करता है- यदि अनुदान उन पक्षों के बिना किया जाता है जिन्हें उद्धत किया जाना चाहिए था।

10. अधिनियम की धारा 283 प्रोबेट प्रदान करने के लिए जिला न्यायाधीश की शक्तियों का वर्णन करती है जो निम्नलिखित शर्तें है-

"283, जिला न्यायाधीश की शक्तियां

(1.) सभी मामलों में जिला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि यदि वह उचित समझे,-

(क) शपथ पर याचिताकर्ता से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ कर सकता है।

(ख) वसीयत के उचित निष्पादन के लिए और सबूत की आवश्यकता है या प्रशासन के पत्रों के लिये याचिकाकर्ता के अधिकार, के रूप में मामला हो सकता है।

(ग) प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों के अनुदान से पूर्व उन सभी व्यक्तियों से अनुरोध करते हुए उध्दरण जारी करे जो मृतक की संपत्ति में कुछ भी हित होने का दावा करते है।

(2.) उद्धरण को न्यायालय के विशिष्ट भाग में स्थापित किया जाना चाहिए और जिले के कलैक्टर के कार्यालय में और अन्यथा इसे जारी करने वाला न्यायाधीश या जिला प्रतिनिधि द्वारा जिस रूप में चाहे निर्देश दे सकता है।

(3.) जहां याचिकाकर्ता द्वारा परिसंपत्त्यिं का कोई हिस्सा किसी अन्य राज्य में अवस्थित होना बताया गया है वहां जिला न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने के लिए इसे जारी करने वाला जिला न्यायाधीश इसकी एक प्रति लाएगा। ऐसे अन्य जिला न्यायाधीश को भेजा जाने वाला प्रशस्ति पत्र प्रकाशित करेगा। ठीक उसी तरह से जैसा की स्वयं उसके द्वारा उद्धरण जारी किये गये हो और जिला न्यायाधीश ऐसे प्रकाशन को प्रमाणित करेगा जो प्रशस्ति पत्र जारी किया गया था।"

11. अधिनियम की धारा 307 (1) निष्पादक अथवा प्रशासक को निम्नलिखित शर्तों में संपत्ति का निपटान करने के लिए शक्ति प्रदान करती है-

> "307- संपत्ति के निपटान के लिये निष्पादक या प्रशासक की शक्ति है-
>
> (1.) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए एक निष्पादक या प्रशासक के पास मृत व्यक्ति में निहित संपत्ति को धारा 211 के तहत या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से या जिस रीति से वह उचित समझे, निपटाने की शक्ति है।"

12. स्वर्गीय हरभगवान के पुत्रों ने कैविएटस में भाग लिया। प्रोबेट कार्यवाही में उनकी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। यहां राजकुमार अकेला नहीं है। जो वसीयत दिनांक 09.09.1997 के संबंध में प्रत्यर्थियों के पक्ष में प्रोबेट के अनुदान का विरोध कर रहा था, लेकिन कहा जाता है कि वह स्वयं स्वर्गीय हरभगवान द्वारा दिनांक 30.10.1997 को निष्पादित वसीयत के तहत दावा कर रहा है।

13. कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संपत्ति का हस्तांतरणकर्ता एक आवश्यक पक्षकार नहीं है। उद्धरण केवल उनके लिये दिये जाने आवश्यक है जो अन्य बातों के साथ-साथ वसीयत के माध्यम से या उसके

तहत दावा करते है अथवा इनकार करते है या उसके निष्पादन पर विवाद करते है।

14. उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में कहा है कि वसीयत के अनुप्रमाणक साक्ष्यों को पहले ही परीक्षित किया जा चुका है, यदि इसमें अपीलार्थी को एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाता है तो यह एक तरीके से घड़ी को पीछे करने के समान होगा। इससे पहले उच्च न्यायालय और हमारे समक्ष अपीलार्थी के आचरण के साथ-साथ यह तथ्य भी प्रदत्त किये गये है कि वे सट्टेबाज है जिन्होंने वाद विवाद वाली संपत्तियां खरीदी थी, लेकिन हम वहां तक नहीं जा सकते।

15. बनवारी लाल श्री निवास (उपर) में, श्री रामचंद्रन ने व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 263 के तहत एक कार्यवाही में एक खरीददार के मामले पर विचार कर रहा था।

16. राजकुमार स्पष्ट रूप से कार्यवाही से अवगत थे। यदि प्रोबेट के अनुदान के लिये कार्यवाही शुरू की गयी थी तो यह अपीलार्थी और/या उनके पूववर्ती, श्री अमित पाहवा को इसका नोटिस माना जाएगा।

17. जैसा कि सर्वविदित है कि एक नोटिस बोर्ड पर उद्धरण को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संपत्तियों को खरीदने से पहले अमित पाहवा और परिणामस्वरूप अपीलार्थी ने एक सोचा समझा जोखिम लिया था। ऐसी प्रकृति की परिस्थिति में वह एक आवश्यक पक्षकार नहीं

है। उसने प्रोबेट कार्यवाही के परिणाम का जोखिम उठाया। उनकी आशंका कि राजकुमार मुकदमें में रूचि नहीं नहीं लेंगे अपने आप में विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है। यह प्रकृति में एक तरह से अटकलबाजी है।

18. सेठ बेनी चंद (उपर) में, जिस पर रामचन्द्रन ने निर्भरता रखी है, यह न्यायालय इस विषय में एक तर्क पर विश्वास कर रहा था कि क्या संपत्तियों के एलियन प्रोबेट कार्यवाहियों में उद्धरण के हकदार है। यह अदालत इस उपधारणा पर आगे बढ़ी की श्री निवास (उपर) में सही नियम निर्धारित किया गया लेकिन इसमें भी एक अंतर यह कहते हुए बनाया गया था कि एलिनी एक स्थानांतरित पेंडेंट लाइट था। इसलिए उक्त निर्णय इस प्रस्ताव के लिये एक प्राधिकार है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई उपधारणा जारी करने की आवश्यकता नहीं है जिसके पास प्रोबेट कार्यवाही की शुरूआत से पहले संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। इस न्यायालय द्वारा कोई अनिश्चित शब्दों में राय नहीं दी गयी कि अपील में एलिनी को सुनवाई का अधिकार नहीं था। अतः उक्त निर्णय श्री रामचन्द्रन के निवेदन के विपरीत है।

19. हम देख सकते है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएट्स बनाम शिवेंद्र बहादुर सिंह और अन्य, [104 (2003) डीएलटी 820] में यह राय दी गयी कि अदालत को वसीयत के निष्पादन

के संबंध में संतुष्ट होना चाहिए। यह किसी अन्य व्यवस्था से संबंधित नहीं है, यह आयोजित किया गया था-

> "26. दूसरी और प्रतिवादी ने अभिलिखित जिन मामलों पर निर्भर है उनमें अंतर दर्शाने का प्रयास किया कि वे सभी ऐसे मामले थे, जहां कुछ व्यक्तियों को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गयी या फंसाया गया था लेकिन सभी परिवार के सदस्यों के मामले थे और इस तरह अपीलार्थी के रूप में प्रोबेट में पक्षकार बनाये जाने के लिए आवेदन की कार्यवाही की जा सकती है।
>
> 27. मामले की सुनवाई के दौरान हमने दोनों पक्षकारों का उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 307 के प्रावधानों पर ध्यान आकर्षित किया जिसमें प्रशासक द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में न्यायालय की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया। इस पहलू पर दोनों पक्षकारों को सुना गया।"

20. अन्यथा भी आम तौर पर अदालत की अनुमति के बिना एक स्थानांतरित पेंडेंट लाइट को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। [बीबी जुबैदा खातून बनाम नबी हसन साहब और अन्य, (2004) एससीसी 191]

21. इसके अलावा, मुकदमें में वादी डोमिनस लिटिस है। अगर वह मामले में एक परिकलित जोखिम लेने का इरादा रखता है तो अदालत कार्यवाही नहीं कर सकती है।[2005] 6 एससीसी 733-पैरा 18 और धन्नालाल बनाम कलावतीबाई एवं अन्य [2002] 6 एससीसी 16, पैरा 23]

22. उपर्युक्त कारणों से, हम इस आदेश में कोई योग्यता नहीं मिली। अतः यह अपील जिसे लागत सहित तदनुसार खारिज किया जाता है। वकील का शुल्क 10,000/-रूपये मूल्यांकन किया गया।

23. उपर्युक्त निर्णय और आदेश को देखते हुए अवमानना याचिका में कोई आदेश पारित किया जाना आवश्यक नहीं है।

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रिचा चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।